न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 24 / 2022

1. शिमला देवी पुत्री जमना देवी पत्नि धर्मसिंह जाति जाट निवासी धान्सू तहसील हिसार हरियाणा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेन्टस.

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक :–12.08.2024

अपीलांट शिमला देवी पुत्री जमना देवी पत्नि धर्मसिंह जाति जाट निवासी धान्सू तहसील हिसार हरियाणा द्वारा तहसीलदार भादरा के अनवानी पत्रावली शिमला बनाम सर्व साधारण मि.न. 37 / 2021 पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 जिसकी रूह से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया को, अपास्त करने हेतु अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार से है–

1. अपीलान्ट की माता मु. जमना देवी पत्नि धर्मसिंह की दिनांक 15.07.2005 को नत्थुराम पुत्र गुगनराम जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी डोबी तहसील भादरा से रोही मौजा डोबी बारानी तह[illegible] के मु.नं. 19, 23,73, 74 की कुल 24 किता की संयुक्त खाता में से [illegible] हिस्सा अर्थात 0.7590 हैक्टर भूमि खरीद शुदा भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:11 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलान्ट की माता मु. जमना द्वारा अपीलान्ट व[illegible]लाड़ प्यार के कारण दि[illegible] 26.03.2010 को एक वसीयतनामा तहरीर व तस्दीक कावाकर उक्त खरीद शुदा भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़,

60 हिस्सा भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में स्वस्थमन वुद्धी से तहरीर व तस्दीक पंजीयक विभाग भादरा के तस्दीक करवा दिया अपीलान्ट की माता का देहान्त दिनांक 10.06.2018 को हो गया इस पर अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मुताबिक वसीयत के नामान्तरण हेतु मय वसीयतनामा रजिस्ट्री व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 06.09.2021 को पेश किया, जिस पर तहसीलदार भादरा ने विस्तृत रिर्पोट हल्का पटवारी से चाही गई है।

3. उक्त पत्रावली मातहत अदालत में विचाराधीन रही फिर प्रशासन गांव के संग अभियान सन् 2021 में ग्राम पंचायत डोबी में पेशी रखी गयी, जहाँ पर वसीयत में दर्ज गवाहन के ब्यान कलम बन्द किये गये और शामिल पत्रावली किये गये पत्रावली अवलोकनार्थ दिनांक 06.12.2021 को रखी गयी तथा अपीलान्ट को कहा गया कि जब भी कोई आदेश होगा, आपको सूचना दे दी जावेगी। उन्हें तहसील आने की आश्वश्यकता नही है।

4. दिनांक 06.12.2021 को अपीलान्ट को बिना बुलाये, बिना सूचना दिये, एक पक्षीय तौर पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा निर्णय में एक बिन्दु दर्शाया कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कालोनी) शर्ते सन् 1955 का उल्लंघन होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है और प्रार्थना पत्र का निर्णय कर दिया, जो निम्न आधारो पर अपील योग्य है तथा अपास्त योग्य है:–

(क) मातहत अदालत का अपीलकृत आदेश एक पक्षीय मन माना एवं स्वेच्छा चारिता पूर्ण है तथा विधि विरूद्व है।

(ख) मातहत अदालत ने निर्णय पारित करते वक्त माईण्ड अप्लाई नही किया ना कानून की विवेचना की वसीयत कभी भी विक्रय नही माना जा सकता है। इसलिए राजस्थान उप निवेशन (समान्य कॉलोनी) शर्तो सन् 1955 इस पर लागु नही होता है।

(ग) मातहत अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि हिन्दु विधि में वसीयत उतराधिकार का दस्तावेज है और वसीयत पर कोई अन्य कानून लागु नही होता है।

(घ) मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश मात्र साईकलोस्टईल निर्णय है जिसके पारित करने वक्त किसी भी प्रकरण से विधि का अध्ययन नहीं किया मात्र राजस्थान उपनिवेशश्न (भाखड़ा विक्रय नियम) रूल 1955 के नियम 13 के (2) अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को आवंटन नही किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swankar
Date: 2024.09.09 12:55:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सकता का हवाला देकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारीज किया, जो विधि विरूद्व है। यह कोई आवंटन न होकर वसीयत का नामान्तरण दर्ज करना था आवंटन का हवाला देकर वसीयत के नामान्तरण के प्रार्थना पत्र को खारीज किया है, जो विधि विरूद्व है। अपील इसी आधार पर स्वीकार होने योग्य है।

(ग) अपील के अन्य कानूनी बिन्दु वरवक्त बहस न्यायालय की इजाजत से पेश कर दिये जावेंगे।

(च) अपीलकृत आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 07.04.2022 को हुआ जब तक तहसील कार्यालय में अपने वसीयत के इन्तकाल की जानकारी लेने भादरा तहसील में पहुची तो कार्यालय में बताया कि वसीयत का प्रार्थना पत्र तो निांक 06.12.2021 को ही खारीज कर दिया गया है तो तुरन्तु नकल प्रार्थना पत्र देकर उसी दिन नकल प्राप्त करके खर्चा आदि की व्यवस्था कर तुरन्त नोहर आकर वकील नियुक्त कर अपील प्रस्तुत कर रही हूँ इसलिए अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा साथ ही दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सलग्न अपील है।

(छ) अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है क्योंकि निर्विवाद प्रार्थना पत्र था इसलिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मातहत अदालत तहसीलदार भादरा के अनवानी पत्रावली शिमला देवी पुत्री जमना देवी बनाम सर्व साधारण मि.न. 37/2021 तलब फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 06.12.2021 खारिज कर मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 26.03.2010 के नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट की माता मु. जमना देवी पत्नि धर्मसिंह की दिनांक 15.07.2005 को नत्थुराम पुत्र गुगनराम जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी डोबी तहसील भादरा से रोही मौजा डोबी बारा[illegible] 26/20 के मु.नं. 19, 23,73, 74 की कुल 24 किता की संयुक्त खाता [illegible] 60 [illegible]सा अर्थात 0.7590 हैक्टर भूमि खरीद शुदा भूमि है। मु. जमना द्वारा अपीलान्ट [illegible] लाड प्यार के कारण दिनांक 26.03.2010 को एक वसीयतनामा [illegible] कर उक्त खरीद शुदा भूमि 60 हिस्सा भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में स्वस्थ मन बुद्धि से तहरीर व तस्दीक पंजीयक विभाग भादरा के तस्दीक करवा दिया। अपीलान्ट की माता का देहान्त दिनांक 10.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2018 को हो गया। इस पर अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मुताबिक वसीयत के नामान्तरण हेतु मय वसीयतनामा रजिस्ट्री व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 06.09.2021 को पेश किया। दिनांक 06.12.2021 को अपीलान्ट को विना बुलाये, बिना सूचना दिये, एक पक्षीय तौर पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा निर्णय में एक बिन्दु दर्शाया कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कालोनी) शर्ते सन् 1955 का उल्लंघन होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है और प्रार्थना पत्र का निर्णय कर दिया,। राजस्थान उपनिवेशश्न (भाखड़ा विक्रय नियम) रूल 1955 के नियम 13 के (2) अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को आवंटन नही किया जा सकता का हवाला देकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारीज किया। यह कोई आवंटन न होकर वसीयत का नामान्तरण दर्ज करना था। आवंटन का हवाला देकर वसीयत के नामान्तरण के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो विधि विरूद्व है। अपील इसी आधार पर स्वीकार होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "राजस्थान उपनिवेशन(सामान्य कॉलोनी) शर्त 1955 की शर्त संख्या 28(6) के अनुसार इस अधिनियम के नियमों के अनुसार अन्तरित को आंवटन का अधिकारी होनें पर ही अन्तरण किया जा सकता है एंव राजस्थान उपनिवेशन(भाखड़ा विक्रय नियम) रूल्स 1955 के नियम 13(2) के अनुसार राजस्थान के बाहर के व्यक्ति का आंवटन नहीं किया जा सकता है" के आधार पर अपीलांट का वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करनें का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करनें का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया न कि भूमि आंवटन बाबत।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39(5) के अनुसार– *"एक व्यक्ति अपनी सम्पति की वसीयत किसी व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है, जो उसकी इच्छाओं के अनुसार उस सम्पति को धारण करनें योग्य है। विल करनें के लिए धर्म कोई प्रतिबंन्ध नहीं या बाधा नहीं है। एक "विल" (क) बच्चों ओर वारिसों (ख) अजन्में व्यक्ति (ग) धार्मिक या मूर्त संस्थानों के पक्ष में की जा सकती है।* अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 में भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 को अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.8.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:11 IST
Reason: SelfAttested